

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 64/2026

दायर दिनांक - 28.01.2026

उन्वान

1. डॉ. कैलाशचन्द्र काबरा पुत्र लादूराम जाति काबरा उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

2. बालमुकन्द पुत्र लादूराम जाति काबरा उम्र वयस्क निवासी बांसेडा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

3. महावीर प्रसाद पुत्र लादूराम जाति काबरा उम्र वयस्क निवासी बांसेडा हाल रिवाली पार्क, बोरिवली ईस्ट, मुम्बई।
----- प्रार्थीगण

बनाम

1. बालाबक्ष पुत्र ज्वारा धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. सोहनलाल पुत्र रघुनाथ धाकड़ उम्र वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. बद्री पुत्र छोटू धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. कैलाश पुत्र नानू धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
5. सोहन पुत्र नानू धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
6. हरनाथ पुत्र भूरा धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
7. लाडू पिता लक्ष्मण रेगर उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
8. उदा पिता लक्ष्मण रेगर उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
9. गोदू पिता नारायण रेगर उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
10. रामलाल पिता नारायण रेगर उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
11. सोजी पिता नारायण रेगर उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
12. गंगाराम पिता धन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी आगली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
13. जगदीश पिता गोकल रेगर उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
14. रामधन पिता बालू रेगर उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
15. ऋषिराज पिता सोनाथ धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
16. सवाईराम पुत्र देवा धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
17. जगदीश पुत्र बेनाथ धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
18. रामरतन पुत्र बेनाथ धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
19. विनोद पुत्र सोनाथ धाकड़ उम्र वयस्क निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
20. श्रीमान् तहसीलदार सा. फूलियाकला जिला भीलवाडा।

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता - श्री योगेन्द्र सिंह भाटी


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 06.05.2026

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा भू अभिलेख निरीक्षक बांसेडा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 402 व पुरानी 377 में आराजी नं. 1413, 1413/2524, 1413/2525, 1426 कुल कीता 04 कुल रकबा 2.08 है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 13, 15 तथा 17 ता 20 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 14, 16 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला जिला - भीलवाडा

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा भू अभिलेख निरीक्षक बांसेड़ा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खतौनी सं. नई 402 व पुरानी 377 में आराजी नं. 1413, 1413/2524, 1413/2525, 1426 कुल कीता 04 कुल रकबा 2.08 है 0 भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बांसेड़ा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। विवादित सीमा में आने वाले खातेदार को पक्षकारान नही बनाने की स्थिति में, किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में तथा राजहित प्रभावित होने की दशा में, किसी पक्षकारान की मृत्यू हो जाने से पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढ़ी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढ़ी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला भीलवाडा
फूलियाकलां, जिला भीलवाडा